ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा,जिला मण्डी के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024 तक

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री सुधीर कुमार	01.04.2022 से 17.08.2022 तक
2	श्री राजेश कुमार	17.08.2022 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत उटपुर के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.31
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	44.62
3	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर	13.65
5	7(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना	0.09
6	9(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.14
7	9(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके राशि की वसूली न करना	0.02
8	10(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.68

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है ।:-

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-07-2024 से 16-07-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**04/2022**	**05/2022**
2023-24	**02/2024**	**05/2023**

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/

अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4800/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एमं.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-404 दिनांक 16.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत उटपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्त्रौत :- ग्राम पंचायत उटपुर, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1128346	211783	1340129	80079.38	1260049.62
2023-24	1260049.62	242509	1502558.62	61680	1440878.62

(ii) अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत उटपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	4478211.28	3526976	8005187.28	4026708.78	3978478.5
2023-24	3978478.5	3924675	7903153.5	3440362	4462791.5

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **5903670.12**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	**Account No.**	**Name of Head**	**Closing balance as on 31.03.2024 (₹)**
H.P State Co-Operative bank, Ladbhadol	31510100006	Own source & other grants	4045065.32
H.P State Co-Operative bank, Ladbhadol	31510112210	14^{th} FC	0
H.P State Co-Operative bank, Ladbhadol	31510113396	15^{TH} FC	2013800.84
		Total	**6058866.16**

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व: स्त्रौत :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**1440878.62**	
अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**4462791.50**	
स्व: स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		5903670.12	

	जमा:- दिनांक 01.04.2022 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि ₹25042 को रोकड़ वही में दर्ज न करना, दिनांक 30.09.2022 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि ₹32378 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 01.04.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि ₹24072 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 30.06.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि ₹15062 को रोकड़ वही में दर्ज न करना, दिनांक 01.10.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि ₹14743 को रोकड़ वही में दर्ज न करना, दिनांक 31.12.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि ₹13158 को रोकड़ वही में दर्ज न करना	124455.00	6028125.12
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		6058866.16
		अन्तर की राशि	**30741.04**

(iv) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**ब्याज (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	0	1782327.9	0	1782327.9	1782327.9	0
2023-24	0	1243369.39	0	1243369.39	1243369.39	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 0.31 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक

खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹30741.04** की राशि का अन्तर पाया गया। अतः मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5. **(क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत उटपुर के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था। अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹44.62 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत उटपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹44,62,791.5 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत उटपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹13.65 लाख अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं

खाते | परिणामस्वरूप ₹13,65,208.46 का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार (₹)	रोकड़ बही के अनुसार (₹)	अंतर (₹)	प्रियासॉफ्ट के अनुसार (₹)	रोकड़ बही के अनुसार (₹)	अंतर (₹)
1	22-23	2107247	3738759	1631512	2642800.16	4106788.16	1463988
2	23-24	450207	4167184	3716977	673956	3502042	2828086

(ख)प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गएबैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष (₹)	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND) (₹)	अंतर (₹)
2023-24	6058866.16	7424074.62+49965=7424074.62	13,65,208.46

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-389 दिनांक 10.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. (क) पंचायत राजस्व गृह कर के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है। अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी। सचिव ग्राम पंचायत उटपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-390 दिनाँक 10.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा। अतः गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.09 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार पंजीकरण शुल्क, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा। सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं.PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹8600/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	5800
2.	2023-24	2800
	कुल जोड़	**8600**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जो की उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-392 दिनांक 10.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया

जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि:-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया।

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में

अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे कि यह पता लगाया जाता कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उप्रिक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचयत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाती जोकि नियमो के विरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-396 दिनांक-11.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी । जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा ।

8. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न

एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 11 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जोकि गंभीर अनियमितता

है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-394 दिनांक 11.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

9. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार

आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹13490 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी. /2024-398 दिनांक 12.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.02 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत उटपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1650 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
	सामान्य निधि						
1	राठोर हार्डवेयर गाँव व डाकघर चौंतड़ा तहसील जोगिंदरनगर	482/21.11.22	62/03.12.22	जेसीबी कार्य	15000	1.00%	150
2	राठोर हार्डवेयर गाँव व डाकघर चौंतड़ा तहसील	479/16.11.22	63/03.12.22	जेसीबी कार्य	25000	1.00%	250

	जोगिंदरनगर						
3	राठोर हार्डवेयर गाँव व डाकघर चौंतड़ा तहसील जोगिंदरनगर	474/11.11.22	64/03.12.22	जेसीबी कार्य	30000	1.00%	300
4	राठोर हार्डवेयर गाँव व डाकघर चौंतड़ा तहसील जोगिंदरनगर	450/03.11.22	65/03.12.22	जेसीबी कार्य	95000	1.00%	950
							1650

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./ 2024-399 दिनांक-12.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.68 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹ 68176 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है

जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	772/19.07.22	सामान्य निधि	राजु हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतड़ा तहसील जोगिंदर नगर	सरिया	38304
2	2221/04.09.22	सामान्य निधि	साइबर पब ऑपोज़िट टेक्निकल बूक मेन बाज़ार बैजनाथ	यूपीएस विंडो एंटि वाइरस	10950
3	180/26.04.23	14वां वित्त आयोग	राजु हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतड़ा तहसील जोगिंदर नगर	हार्डवेर आइटम	18922
कुल					**68176**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-402 दिनांक 15.07.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था । अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए

व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वियन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	143	24	119	674	251	251	12996	3	30120	17124
2023-24	161	4	157	675	206	206	10242	7	24720	14478

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-403 दिनांक 16.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी है जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	विजय कुमार	302 अवधि 17.04.22 से 30.04.22	C/O Naliyan drain Village Bharan	24.04.2022	24.04.2022 (ग्राम सभा)	0	212
2.	अंजना देवी	6396 अवधि 17.11.22 से 30.11.22	C/O check dam balh nala near ayurvedic	23.11.2022	23.11.2022 (मासिक बैठक)	300	212

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024 395 दिनांक 11.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को दोहरा भुगतान किया गया था जिसे वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखापरीक्षा से अवगत करवाया जाएगा। अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम से प्राप्त बिलो पर ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान किया जाना :-

ग्राम पंचायत उटपुर विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 4/22 से 3/24 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के व्यय वाउचरों की जांच पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम से सीमेंट की खरीद पर प्राप्त बिलों के एवज में ₹1924.6 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित व अनुचित प्रक्रिया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या	बिल संख्या	कार्य का नाम	शीर्ष	सीमेंट बैग की मात्रा	भुगतान योग्य राशि (₹)	वास्तविक भुगतान(₹)	अन्तर (₹)
1	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0630254/ 02.11.21	cs057-22-0162080 dated 01.11.22	C/O check dam khedu nalla	मनरेगा	93	93 @ 384.05 = 35717	36086	369

2	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0630256/ 02.11.21	cs057-22-0162084 dated 01.11.22	C/O check dam balh basti	मनरेगा	93	93 @ 384.05 = 35717	36086	369
3	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0630258/ 02.11.21	cs057-22-0212317 dated 04.01.23	C/O check dam balh nalla near ayurvedic	मनरेगा	35	35 @ 389.75 = 13641.25	13778	136.75
4	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0630251/ 02.11.21	cs057-23-0494091 dated 23.01.23	C/O check dam upper tain	मनरेगा	67	67 @ 390.10 = 26137	26244	107
5	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0630253/ 02.11.21	cs057-23-0311876 dated 15.05.23	C/O concrete road bhran dukan se khelu	मनरेगा	132	132 @ 384.05 = 50695	50847.8	152.8
6	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0630257/ 02.11.21	cs057-23-0311844 dated 15.05.2023	C/O naliyan lohar basti makan khurd	मनरेगा	72	72 @ 384.05 = 27652	27884	232
7	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0106756/ 10.03.22	cs057-23-0428976 dated 02.11.2023	C/O check dam massanu nalla	मनरेगा	44	44 @ 387.55 = 17052	17387	335
8	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	0106759/ 10.03.22	cs057-23-0428947 dated 02.11.2023	C/O check dam gatod khat	मनरेगा	101	101 @ 387.55 = 39143	39366	223
कुल योग									**1924.6**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः संख्याःडी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-400 दिनांक 15.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम को किए गए भुगतान के

सम्बंध अधिक भुगतान की गयी या तो वसूली कर दी जाएगी अन्यथा अधिक मूल्य के बराबर की राशि से सीमेंट बैग खरीद कर उपरोक्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करने के पश्चात अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए

तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

04.10.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष नं0 -0177-2626670

का0/प्रति

4778-4782 04 OCT 2024

पृष्ठांकन संख्याः- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 108/2022 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत उटपुर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 OCT 2024

04.10.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष नं0 -0177-2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता था, जिसे ड्राफ्ट संख्या 149670 दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	निर्णीत	पुनः प्रारूपित
3	पैरा-5	निर्णीत	पुनः प्रारूपित
4	पैरा-6	निर्णीत	पुनः प्रारूपित
5	पैरा-7	अनिर्णीत	
6	पैरा-8	अनिर्णीत	
7	पैरा-9	निर्णीत	पैरा संख्या 9 में बिल अंकेक्षण से अवगत करवा दिये गए है ।
8	पैरा-10	अनिर्णीत	
9	पैरा-11	निर्णीत	अंकेक्षण की दिशा-निर्देश के तहत ग्राम पंचायत उटपुर द्वारा क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार भंडार रजिस्टर में कर दी गयी है जिसका उल्लेख मुद्रण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया है जिसकी छायावृति अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी गयी है ।
10	पैरा-12	अनिर्णीत	
11	पैरा-13	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	11
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	09
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	6
अवधि 01.04.20 से 31.03.2024 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	14

पैरा संख्या - 4 (i)
परिशिष्ठ '(ख)'

Financial position of own source of Gram Panchyat utpur					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1128346	211783	1340129	80079.38	1260049.62
2023-24	1260049.62	242509	1502558.62	61680	1440878.62

प्रधान
ग्राम पंचायत ऊटपुर
वि. ख. चौन्तड़ा, जिला मण्डी (हि.प्र.)

SECRETARY
Gram Panchayat Ootpur
Development Block Chauntra
District Mandi (H.P.)

पैरा संख्या-5 (ii)
परिशिष्ट-(ग)

(23)

Financial position of all other grants in aid (including 15th fc) of Gram Panchyat utpur					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	4478211.28	3526976	8005187.28	4026708.78	3978478.5
2023-24	3978478.5	3924675	7903153.5	3440362	4462791.5

प्रधान
ग्राम पंचायत ऊटपुर
वि. ख. चौन्तड़ा, जिला मण्डी (हि.प्र.)

SECRETARY
Gram Panchayat Ootpur
Development Block Chauntra
District Mandi (H.P.)

29

(26)

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व स्त्रौत :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	1440878.62	
अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	4462791.50	
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		5903670.12	
	जमा:- दिनांक 01.04.2022 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि 25042 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 30.09.2022 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि 32378 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 01.04.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि 24072 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 30.06.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि 15062 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 01.10.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि 14743 को रोकड़ वही में दर्ज न करना,दिनांक 31.12.2023 को 15वां वित्त आयोग में ब्याज द्वारा प्राप्त राशि 13158 को रोकड़ वही में दर्ज न करना	124455.00	6028125.12
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		6058866.16
	अन्तर की राशि		30741.04

प्रधान
ग्राम पंचायत ऊटपुर
वि. ख. चौन्तड़ा, जिला मण्डी (हि.प्र.)

SECRETARY
Gram Panchayat Ootpur
Development Block Chauntra
District Mandi (H.P.)

30

प्रारूपसंख्या - 9 (क)
परिशिष्ट - (ध)

				क्रम संख्या						
क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	मनरेगा									
1	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	025/16.08.21	रेत	5650	110	3.11	1.62	5.04	60	303
2	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	025/16.08.21	बजरी	7965	190	5.38	1.52	8.17	60	490
3	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	028/20.01.22	रेत	5650	110	3.11	1.62	5.04	60	303
4	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	028/20.01.22	बजरी	7965	190	5.38	1.52	8.17	60	490
5	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	060/15.05.23	रेत	19392	480	13.58	1.62	22.01	80	1760
6	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	060/15.05.23	बजरी	27855	900	25.47	1.52	38.71	80	3097
7	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	062/15.05.23	रेत	15352	380	10.75	1.62	17.42	80	1394
8	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	062/15.05.23	बजरी	21665	700	19.81	1.52	30.11	80	2409
9	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	061/15.05.23	रेत	10100	250	7.08	1.62	11.46	80	917
10	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	061/15.05.23	बजरी	15475	500	14.15	1.52	21.51	80	1721
	एसबीएम									
11	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	037/19.03.22	रेत	4884	95	2.69	1.62	4.36	80	348
12	ठाकुर बर्तन भंडार मेन बाज़ार लड़ भाड़ोल जिला मण्डी	037/19.03.22	बजरी	3146	75	2.12	1.52	3.23	80	258
	कुल योग									13490